कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 95/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 10.03.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 10.03.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना – अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

सफाईकर्मी की नौकरी दिलाने के नाम पर 03 लाख रुपये की ठगी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 05.03.2026 को वादी कन्हैया पुत्र स्व0 अलगू यादव निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना अतरौलिया पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि विपक्षीगण 1. परमानन्द यादव पुत्र मनिराम यादव तथा 2. रामानन्द यादव पुत्र बलिराम यादव निवासीगण महाजी सिंगवारा थाना कोतवाली महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के पुत्र रणधीर यादव उर्फ मिन्टू यादव को सफाईकर्मी की नौकरी दिलाने का झांसा देकर लगभग 03 वर्ष पूर्व 03 लाख रुपये ले लिये गये। बाद में रुपये वापस मांगने पर टालमटोल एवं आनाकानी की जा रही थी।

उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना अतरौलिया पर **मु0अ0सं0 0083/26 धारा 406 भादवि** बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमे में **धारा 467/468 भादवि** की वृद्धि की गई।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 09.03.2026 को उ0नि0 उमेश चन्द मय हमराह तथा थाना महराजगंज पुलिस टीम के साथ अभियुक्तों की तलाश में दबिश दी गयी। सूचना के आधार पर **अभियुक्त परमानन्द यादव** को गायत्री नगर रेलवे स्टेशन, आजमगढ़ के पास से समय करीब 09:30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त परमानन्द यादव द्वारा बताया गया कि उसका भाई **रामानन्द यादव** पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के रास्ते लखनऊ जाने के लिए निकला है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे फुलवरिया थाना अहरौला क्षेत्र से **अभियुक्त रामानन्द यादव** को समय करीब 12:10 बजे हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 0083/26 धारा 406/467/468 भादवि थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. परमानन्द यादव पुत्र मनिराम यादव निवासी महाजी सिंगवारा थाना कोतवाली महराजगंज जनपद आजमगढ़, उम्र 31 वर्ष।
2. रामानन्द यादव पुत्र बलिराम यादव निवासी महाजी सिंगवारा थाना कोतवाली महराजगंज जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 38 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 उमेश चन्द थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 ओमकार तिवारी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।
3. हे0का0 श्रीनरायण यादव थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।
4. का0 शिवानन्द चौधरी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
5. का0 मनीष कुमार थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।
6. का0 रामबाबू थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।
7. का0 रतीश तिवारी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

आपसी विवाद में जानलेवा हमला व सरकारी कार्य में बाधा डालने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08.01.2026 को प्रातः लगभग 09:00 बजे ग्राम बारीखास थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ में प्रथम पक्ष की **विमला देवी पत्नी स्व0 हरेन्द्र चौहान व विनीता पुत्री स्व0 हरेन्द्र चौहान** तथा द्वितीय पक्ष की **सरिता पत्नी जगदीश चौहान व गोविन्द पुत्र भगेलू चौहान** के बीच नल से पानी ले जाते समय पानी गिरने को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों द्वारा गाली-गलौज करते हुए बांस के डंडे से एक-दूसरे पर जानलेवा हमला किया गया, जिससे दोनों पक्षों के लोग घायल हो गये।

सूचना पर पहुंचे बीट आरक्षी द्वारा समझाने-बुझाने के दौरान भी दोनों पक्ष उग्र हो गये तथा सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए एक-दूसरे को जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना के संबंध में थाना निजामाबाद पर **मु0अ0सं0 25/26 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3), 221 बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 10.03.2026 को उ0नि0 लाला राम मय पुलिस टीम के साथ क्षेत्र भ्रमण/संदिग्ध व्यक्ति चेकिंग के दौरान सेन्टरवां मोड़ पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **गोविन्द चौहान पुत्र भगेलू चौहान निवासी ग्राम बारीखास थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़** असनी पुलिया के पास कहीं जाने की फिराक में खड़ा है।

प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को **असनी पुलिया** से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम **गोविन्द चौहान पुत्र भगेलू चौहान निवासी बारीखास थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 30 वर्ष** बताया। अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराते हुए समय करीब **सुबह 09:30 बजे** नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 25/26 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3), 221 बीएनएस थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त –

गोविन्द चौहान पुत्र भगेलू चौहान निवासी ग्राम बारीखास थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 30 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 लाला राम थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 अखिलेश कुमार यादव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
3. हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना – फूलपुर, जनपद आजमगढ़

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत नाबालिक बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में भेजा गया जेल

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.03.2026 को थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर यह प्रकाश में आया कि दिनांक 08.03.2026 को थाना क्षेत्र के एक ग्राम में एक नाबालिग बच्ची के साथ आरोपी द्वारा अश्लील हरकत की गई। इस संबंध में थाना फूलपुर पर **मु0अ0सं0 86/2026 धारा 75 बीएनएस व 9/10 पॉक्सो एक्ट** के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 सत्येन्द्र कुमार द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण –

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ **डॉ0 अनिल कुमार (IPS)** द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे

अभियान तथा **मिशन शक्ति 5.0 अभियान** के अंतर्गत महिला एवं बाल सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के निर्देशन में थाना फूलपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त **राजेश पुत्र केसरी निवासी ग्राम सैदपुर खंजहांपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 55 वर्ष** को दिनांक 09.03.2026 को समय करीब **19:43 बजे** गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराते हुए नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

राजेश पुत्र केसरी निवासी ग्राम सैदपुर खंजहांपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 55 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 86/2026 धारा 75 बीएनएस व 9/10 पॉक्सो एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. हे0का0 दिनेश कुमार वर्मा, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।